न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 133/2015

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 हबीब खां उम्र 58 वर्ष पुत्र बागे खां।
2 सुलेमान खां उम्र 55 वर्ष पुत्र बागे खां जाति मोयल निवासीगण जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1 नबाब खां पुत्र बागे खां।
2 मकसुद खां पुत्र बागे खां।
3 गुलाम नबी पुत्र बागे खां।
4 शोकत खां पुत्र जवाहर खां।
5 मनवर खां पुत्र जवाहर खां।
6 फुसे खां पुत्र जवाहर खां।
7 हाकल अली पुत्र फरीद खां।
8 न्यामत अली पुत्र फरीद खां समस्त जाति कायमखानी निवासी ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9 बानू पुत्री अजीम खां पत्नी अली खां।
10 आइसा पुत्री अजीम खां पत्नी हिदायत खां।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

11 मनीरा पुत्री अजीम खां पत्नी गुलाम खां।
12 गिन्नी पुत्री अजीम खां पत्नी असगर खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण जाजोद हाल मौहल्ला होली धोरा सुजानगढ़ जिला चूरू।
13 नजफ बानु पत्नी रजाक खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी धोरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।
14 हल्का पटवारी ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
15 तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
16 राजस्थान सरकार द्वारा जिला कलेक्टर महोदय सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 03.07.15
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ शीर्षकीय
हबीब खां आदि बनाम नवाब खां आदि वाद
संख्या 93/10 पीठासीन अधिकारी श्री महावीर
प्रसाद नायक (आर.ए.एस.)

उपस्थित

1. श्री प्रमोद मोदी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार मीणा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–05.11.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा वाद संख्या 93/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में खसरा नम्बर 230 वाके ग्राम जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ में 1/2 हिस्से की उद्घोषणा का वाद एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया जिसके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि लोक अदालत का नोटिस सम्यक नही है हमे वाद साबित करने का अवसर नही दिया गया आदेश 8 नियम 10 सीपीसी. के मुताबित दावा डिक्री किये जाने योग्य था दिनांक 12.02.2015 को जवाब दावा बंद करने का आवेदन दिया दिनांक 24.03.2015 को पत्रावली वास्ते जवाब दावा नियत थी। प्रतिरक्षा में जवाब न देना प्रमाणित है वाद खण्डन के अभाव में वाद वादी डिक्री करना चाहिए था। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि नामान्तकरण संख्या 660 की अपील मेरी मंजूर हुई है मेरे पक्ष में नामान्तकरण 24.01.2001 को भरा गया। इनका कोई लोकस नही है लोक अदालत के पक्षकारों को नोटिस दिये जाते है तिथि राज्य सरकार यह करती है 16.05.1983 को लियाकत अली से क्रय की है। लियाकत अली मेरे से अलग है अपीलांटस से हमारा दूर दूर तक सम्बंध नही है अजीम खां ने बेची हो तो सिविल कोर्ट तय करेगा विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खातेदारी अधिकार सिविल कोर्ट नही दे सकता है नामान्तकरण का निर्णय वाद को बाधित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

नही करता है विचारण न्यायालय में प्रकिया अपनाये बिना निर्णय पारित किया गया है। अत अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से जाहिर है कि वादी अपीलांट ने विवादित भूमि पर संवत 2021 से कब्जा कास्त होना साक्ष्य से साबित नही किया है। अपीलांट अपंजीकृत लिखावट के आधार पर खातेदारी की घोषणा का अनुतोष लेकर आये है। यह सुस्थापित है कि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर विशिष्ट अनुपालना के तहत सिविल न्यायालय में अनुतोष लिया जा सकता है राजस्व न्यायालय को ऐसे दस्तावेज के आधार पर खातेदारी की घोषणा का अधिकार नही है। विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन पर कानूनी बिन्दु पर वाद खारिज किया है। जिसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/11/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर